



बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड



प्रिय निर्माण श्रमिक बंधु, बोर्ड के पोर्टल <https://bocwboard.bihar.gov.in> पर निबंधन कराकर बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाये।

बोर्ड के नये पोर्टल की विशेषताएं :

1. निबंधन, नवीकरण एवं योजना आवेदन सृजन हेतु आधार आधारित Biometric Authentication की सुविधा।
2. निबंधन के समय आधार आधारित Biometric Authentication के माध्यम से पारिवारिक सदस्य का नाम जोड़ने की सुविधा।
3. आधार से जुड़े बैंक खाता में भुगतान की सुविधा।
4. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा।
5. SMS के माध्यम से निबंधन एवं योजना की स्थिति की जानकारी की सुविधा।

निर्माण श्रमिक कौन :

वैसे श्रमिक जो निर्माण कार्य में संलग्न हैं, जैसे- राज मिस्त्री, टाईल्स मिस्त्री, पेंटर, रेजा, राज मिस्त्री का हेल्पर, बढ़ई, लोहार, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर, सेंट्रींग मिस्त्री, वेल्डर, कंक्रीट मिक्सर, ईट निर्माण मजदूर, रोलर चालक, मनरेगा श्रमिक (बागवानी एवं वानिकी छोड़कर) इत्यादि।

प्रमुख योजनाएं :

1. मातृत्व लाभ योजना
2. पितृत्व लाभ
3. नकद पुरस्कार
4. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
5. विवाह के लिए वित्तीय सहायता
6. दाह संस्कार योजना
7. औजार क्रय योजना
8. पेंशन
9. विकलांगता पेंशन
10. मृत्यु लाभ योजना इत्यादि

निबंधन की प्रक्रिया एवं आवेदन हेतु आवश्यक :

1. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन हेतु पोर्टल (www.bocwboard.bihar.gov.in) तैयार किया गया है।
2. वैसे निर्माण श्रमिक जो 18 वर्ष की आयु के हों परंतु 60 वर्ष पूर्ण नहीं किये हों बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं।
3. बोर्ड में निबंधन हेतु निर्माण श्रमिक द्वारा बोर्ड के पोर्टल (www.bocwboard.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन श्रम कार्यालय अथवा CSC Centre से किया जा सकता है।
4. आवेदन हेतु आवश्यक कागजात-

(a) आधार कार्ड की छायाप्रति	(d) स्व-घोषणा पत्र (पोर्टल से डाउनलोड कर)
(b) बैंक पासबुक की छायाप्रति	(e) मोबाईल नंबर
(c) रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ	(f) आवेदन की तिथि से एक वर्ष पूर्व में नियोजक द्वारा निर्गत 90 दिन कार्य करने का प्रमाण-पत्र

5. शुल्क- निर्धारित शुल्क ₹ 50/- (निबंधन शुल्क ₹ 20 तथा पाँच वर्षों हेतु नवीकरण अंशदान ₹ 30/-) Payment Gateway के माध्यम से जमा किया जाता है।

6. योजनाओं हेतु आवेदन- बोर्ड में निबंधित योग्य निर्माण श्रमिक/आश्रित / नामित व्यक्ति बोर्ड में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु योजना से संबंधित वांछित दस्तावेज के साथ बोर्ड के पोर्टल (www.bocwboard.bihar.gov.in) पर अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।



PR No.- 013975 (LRD)/D. 2026-27

नोट: किसी तरह के शिकायत अथवा जानकारी के लिए संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अथवा जिला के श्रम अधीक्षक कार्यालय अथवा बोर्ड के ई मेल आईडी : bocw.bihar@gov.in पर संपर्क करें।

बोर्ड, निर्माण श्रमिकों के हितों के लिए सदैव तत्पर है।